कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail - eicpwduk@nic.in

पत्रांक 171 /09 सा0प्र0/16 देहरादून, दिनांक 08 फरवरी, 2017

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर–I/II,
(सिविल/रा0मा0/UEAP/USRIP/UDRP/PMGSY),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

विषय :– लोक निर्माण विभाग के अधीन निर्मित सेतुओं के सम्बन्ध में।

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विकासखण्ड गंगोलीहाट में मदनपुर नैनी मार्ग पर किमी0 2 में 60 मीटर स्पान स्टील मोटर सेतु दिनांक 01.02.2017 को ध्वस्त हो गया। अवगत कराया गया कि प्रश्नगत सेतु का निर्माण कार्य फरवरी, 2012 में ही पूर्ण हुआ था तथा सेतु क्लास–बी लोडिंग हेतु निर्मित था।

लोक निर्माण विभाग के अधीन समस्त प्रकार के पुलों को बरसात से पूर्व एवं बरसात के बाद निरीक्षण किये जाने के आदेश पूर्व में ही निर्गत है तथा विभागीय अधिकारियों को यह भी ज्ञात था कि प्रश्नगत सेतु में ओवर लोडेड (अत्याधिक भार क्षमता वाले वाहन) वाहन गुजर रहे है, इसके बावजूद भी इसका संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसी स्थिति प्रदेश के अन्तर्गत अन्य पुलों के साथ भी हो सकती है। पुलों के निरीक्षण/रख–रखाव के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 39/09 सा0प्र0/16 दिनांक 14.01.2016, पत्र संख्या 1178/09 सा0प्र0/16 दिनांक 18.10.2016 एवं 1202/09 सा0प्र0/16 दिनांक 11.11.16 तथा अधीक्षण अभियन्ताओं की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 24.08.2016 एवं 12.12.2016 द्वारा भी आदेश जारी किये गये हैं। उक्त पत्र दिनांक 18.10.2016 में निम्नवत् निर्दिष्ट किया गया था कि सभी पुलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए रेटिंग किया जाय। IRC SP 37 में निर्दिष्ट किया है कि नये एवं पुराने पुलों पर रेटिंग तथा पोस्टिंग निम्नलिखित स्थितियां में आवश्यक है :–

1. यदि पुल पर डिजाइन्ड लोड से अधिक भार के व्यवसायिक वाहन चल रहे हो।
2. यदि पुल का डिजाइन ज्ञात न हो।
3. जहां पुल की ड्रांइग एवं अभिलेख उपलब्ध न हो।
4. जहां निरीक्षण के उपरान्त पुल के गम्भीर स्ट्रक्चरल पार्ट में कमियां पायी गयी हों।

लेकिन इस सम्बन्ध में किसी भी कार्यालय से कोई आख्या प्राप्त नहीं हुई हैं। जो बेहद खेदजनक है।

क्रमशः–2–

पुनः उक्त के सम्बन्ध में निम्नवत् आदेश पारित किये जाते है :–

1. क्लास–बी पुल एक अस्थायी पुल है। अतः भविष्य में इनका निर्माण कदापि न कराया जाय। इसका निर्माण बेहद अस्थाई रूप से कामचलाऊ स्थिति में तथा विशेष परिस्थितियों में ही बनाया जाए।
2. पूर्व निर्मित क्लास–बी अथवा अन्य पुल जिसमें डिजाइन से अधिक भार क्षमता के वाहन चल रहे हों, उनमें सुरक्षा हेतु बोर्ड अथवा पोटल आदि लगवायें जांय अथवा आउट–सोर्सिंग से आदमी रखे जाने की आवश्यकता प्रतीत हो तो प्रस्तावित करें ताकि किसी भी स्थिति में दुर्घटना की कोई आशंका न रहे।
3. मुख्य मार्गों पर स्थित तथा लम्बे स्पान के क्लास–बी के पुलों को क्लास–ए में परिवर्तित/निर्मित किये जाने हेतु आगणन/प्रस्ताव प्रेषित किये जाय।
4. IRC द्वारा पुलों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रकाशन उपलब्ध हैं, इनका संदर्भ लिया जाय, जिसकी जानकारी Internet से भी प्राप्त की जा सकती हैं :–

1. IRC SP 35 : 1990
2. IRC SP 37 : 2014
3. IRC SP 40 : 1993
4. IRC SP 51 : 1999
5. IRC SP 52 : 1999
6. IRC SP 60 : 2002
7. IRC SP 74 : 2007

अतः उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं अनुपालन आख्या दी जाय।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता स्तर–। (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, (सिविल/रा0मा0/UEAP/USRIP/UDRP/PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
3. समस्त तकनीकी अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, (सिविल/रा0मा0/UEAP/USRIP/UDRP/PMGSY), लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. अधिशासी अभियन्ता, (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
6. प्रति स्वयं को।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग